

main task was that they should not be exploited by the newspaper owners all over the country. Thus the Wage Board was appointed, as I said earlier, to look after the welfare of the working journalists like editor, sub-editor, reporter, special correspondent, chief of news because, etc.

Madam, it is apprehended and presumed that the Report is said to be pro-owners of the newspapers. This Bachawat Commission report should also be thrown open for review before the country, specially before the community of journalists enabling those who are concerned with the future of press freedom to participate in the debate.

Madam, in this connection, I would like to congratulate the hon. Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, who properly responded to the widespread feelings of the journalists on the Defamation Bill. He deserves our all congratulations. This shows his love for democracy, and this is a good way of democratic functioning. This reiteration of press freedom is timely and he did not have any malafide intention.

Madam, I would urge upon the Government that this Bachawat Wage Board report should also be thrown to the public for a debate to strengthen the pillar of democracy. This Wage Board report should also be sent to the Ministerial Committee for discussion and opinion.

Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Jaswant Singh, Shri Chaturanan Mishra—absent. Yes, Shri Vikal.

Rash and Negligent Driving of DTC buses and trucks and misbehaviour by conductors of private buses

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) :
उपसभापति महोदया, डी.टी.सी. बस, प्राइवेट बस या चाहे ट्रक हों, इनकी बजह से दिल्ली और दिल्ली के आसपास

की अन्तर्गत को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। महोदया, दिल्ली की डी.टी.सी. की बसों, प्राइवेट बसों से दुर्घटनाओं का कोई न कोई समाचार रोजाना शहरवारों में छपता है। चाहे ट्रक हों या चाहे बस हों मोड़ पर इनकी गति बहुत तेज होती है। कब या परसों की बात है, मैं लोकसभा में जा रहा था, शुरू में तो एक एम्बेसेडर गाड़ी से ही बाल बाल बचा। उसके बाद बस में आने जो मोड़ आता है उस पर इतनी तेजी से घुमाया कि मेरी कुर्सी लौट गयी। महोदया, यहाँ अनेक सवाल उठाए जाने के बावजूद और शहरवारों में रोजाना क्रिटिसिज्म छपने के बावजूद भी डी.टी.सी. के ड्राइवर्स और कंडक्टरों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है। उन्हें यह एहसास हो गया है कि प्राइवेट वालों को क्यों फंसा दिया है इसलिए वे पब्लिक को तंग करते हैं। प्राइवेट वालों का हाल यह है कि मुझे तो वे ट्रेड भी मालूम नहीं पड़ते। पता नहीं कैसे लाइसेंस दे दिए गए हैं।

उपसभापति महोदया, लेडीज को आगे से चढ़ने की इजाजत है, लेकिन उस नियम का पालन नहीं होता है। दूसरे मुझे कई लड़कियों ने बताया कि बस में चार चार कंडक्टर खड़े हो जाते हैं और दुर्व्यवहार करने हैं उतरने चढ़ने में। इस कारण पब्लिक में काफी असंतोष है। मैं मांग करता हूँ कि चाहे डी.टी.सी. की बस हों, प्राइवेट बस हो चाहे ट्रक हों उनमें बहुत मुजिबिता ड्राइवर और कंडक्टर होने चाहिए। ड्राइवर बस से कम ऐसे होने चाहिए, जिनके पास कोई डंग का प्रमाणपत्र हो। मुझे कई लड़कियों ने बताया है कि जो कंडक्टर होते हैं वह चाहे जब स्टेशनों पर वैक्कुर बस

[श्री राम चन्द्र विकल]

चलाने लगते हैं। यहाँ ऐसी अनेक दुर्घटनाएँ हुई हैं, मॉते कई हो चुकी हैं। मेरे कई रिश्तेदार मारे गए हैं। कन गादिनाबाद में ट्रक से हुई दुर्घटना में एक लड़की शिकार हुई और फिर एक लड़का मर गया। उसके बाद एजिटेशन हो गया, पुलिस के साथ। गोलीबारी हुई।

उत्तमापति महोदया। इरादतन कई घटनाएँ भी हो चुकी हैं। इन पर मर्डर केस होना चाहिए। मैं ऐसी अनेक घटनाओं का भुक्तभोगी हूँ कि इरादा करके पीछे से या अग्रे से मार देंगे। रकने का कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद उन्हें पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सजा कुछ नहीं होती। मामूली सजा जुर्माना होता हो तो होता हो। इनके मालिक इतने पावरफुल होते हैं कि वे छुड़ा लेते हैं। जब शिकायत की तो मेरे पास बहुत लोग आए। महोदया, कानून और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि चाहे बस हो, ट्रक हो कोई भी अगर एक्सीडेंट में मर जाता है तो उस पर क़त्ल का केस चलना चाहिए और वही सजा होनी चाहिणी जो कि मर्डर के लिए है।

उत्तमापति महोदया, अक्सर अखबारों में ड्राइवर और कंडक्टर के दुर्व्यवहार की खबरे छपती हैं (समय की घंटी), मर पता नहीं उनकी कटिंग्स को कोई पढ़ता भी है या नहीं? पता नहीं मंत्रालय को कटिंग्स पहुंचती भी हैं या नहीं।

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया।

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) :
Madam, I want to associate myself with my friend, Shri Ram Chandra Vikal, be-

cause a number of lady officers of the Rajya Sabha Secretariat have met me in the Notice Office and told me that this is what the conductors of the private buses are doing. Madam, this has to be taken very seriously. There was one Monisha who could retaliate; but there are no more Monishas available. The lady officers of the Rajya Sabha Secretariat have complained to us. This is a very serious matter and I think Mr. Pilot will take note of our feelings and restore the credibility of the DTC buses; particularly after the private sector operators have been permitted, this has been on the increase.

श्री राम सिंह राठवा (गुजरात):

मैं विकल साहब की भावनाओं को समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी ड्राइवर है उनके मालिक के साथ भी कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि वे ऐसे ड्राइवर रखें जो सही तरीके से चलाने में निपुण हों।

Reported injustice to Maharashtra in the matter of allotment of gas from Bombay High

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra) : I thank you for allowing me to raise a very important issue, and this is about the injustice to Maharashtra over the allotment of a share in Bombay High Gas, and utilisation of natural gas in Maharashtra. Madam, the Government of Maharashtra has drawn the attention of the Union Government several times about this injustice in allotment of Bombay High Gas.

A working group was constituted in this regard about the utilisation of Bombay High gas in the beginning of 1979 by the Government of India, under the Chairmanship of Shri T. K. Satishchandran, Adviser (Energy), Planning Commission for utilisation of offshore gas. The Government of Maharashtra had then put up a demand for 14.7 mil. cubic metres of gas per day. This demand was made in the context of the assessment that 20 million